

IS 15700:2018



Sevottam Certified

## उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद,

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,

निर्माण खण्ड लखनऊ-11

आफिस काम्प्लेक्स, चतुर्थ तल, सेक्टर-9,

वृन्दावन योजना, लखनऊ



पत्र सं०- 1465 / AZ-9 / 125

दिनांक- 16-12-2024

### ई-निविदा सूचना

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा परिषद की ओर से उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद में उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत एवं अनुभवी ठेकेदारों/फर्मों से ई-निविदा द्वारा निम्नांकित विवरण के अनुसार निविदा आमंत्रित की जाती है, जो उपस्थित निविदादाताओं या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लखनऊ-11 उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद आफिस काम्प्लेक्स वृन्दावन योजना लखनऊ स्थित कार्यालय में गठित समिति द्वारा खोली जाएगी। कार्यों की मात्राएं बी०ओ०क्यू० के अनुसार होंगी।

क्र. सं.	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित कुल लागत जीएसटी रहित (लाख में)	धरोहर धनराशि (लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य + समस्त कर (GST) सहित (रु० में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि (माह)	निविदा पद्धति
1.	जनपद रायबरेली के स्पोर्ट्स स्टेडियम का जीर्णोद्धार/नवीनीकरण तथा निर्मित सिन्थेटिक हॉकी मैदान की पुर्नस्थापना का कार्य।	1602.00	32.04	7500.00+18%GST =8850.00	15 माह	टू बिड

निविदा से संबंधित विवरण	तिथि व समय
Document Download Start Date	06/01/2025 (6:00 PM)
Document Download End Date	22/01/2025 (12:00 PM)
Bid Submission Start Date	06/01/2025 (6:00 PM)
Bid Submission/Closing Date	22/01/2025 (3:00 PM)
Technical Bid Opening Date	22/01/2025 (3:30 PM)
Financial Bid Opening Date	Date will be declared after opening of Technical Bid

### ई-निविदा हेतु :-

अ-निविदा से संबंधित प्रपत्र का मूल्य व धरोहर धनराशि अलग-अलग RTGS के माध्यम से जमा किया जाना होगा। RTGS निम्नलिखित विवरण के अनुसार दिनांक 21/01/2025 को सायं 5.00 बजे तक खण्ड कार्यालय के खाते में जमा किया जाना होगा। वांछित धनराशि कार्यालय में जमा होने की पुष्टि के उपरान्त ही निविदा पर विचार किया जायेगा। कार्यालय का पता व खाते का विवरण निम्नवत् है :-

Concerning Division Office: Executive Engineer, Construction division Lucknow-11,  
U.P. Housing & Development Board, Office Complex  
4<sup>th</sup> Floor, Vrindavan Yojna, Lucknow.

Accounts Detail for RTGS: A/c holder name- Ex. Engg. CD Lucknow-11, UPAVP, LKO  
Bank of Baroda, Vrindavan Yojna Branch, Lucknow  
Account No. 56630100006240  
IFSC Code No BARB0VRILUC

ब- निविदा प्रपत्र/धरोहर धनराशि के मूल्य से संबंधित आर०टी०जी०एस० का यू०टी०आर० नम्बर निविदा प्रपत्र के साथ अपलोड भी किया जाना होगा।

स- निविदा प्रपत्र परिषद की वेबसाइट [www.upavp.in](http://www.upavp.in) के निविदा लिंक पर तथा उ०प्र० इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन की वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> पर देखे जा सकते हैं। इच्छुक ठेकेदार नियमित रूप से उक्त वेबसाइट देखते रहें क्योंकि निविदाओं के संबंध में कोई बदलाव अथवा सूचना वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। डिजिटल सिग्नेचर धारक ठेकेदार/फर्मों द्वारा ही आनलाइन निविदा डाली जा सकती है।

### सामान्य शर्तें

- 1- निविदाओं की बी०ओ०क्यू० में अंकित कार्यों की मात्रा में परिवर्तन हो सकता है जिसके लिए ठेकेदार/फर्म का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। निविदा डालने से पूर्व निविदादाता कार्य स्थल का निरीक्षण कर लें कालान्तर में स्थल से संबंधित कोई भी क्लेम मान्य नहीं होगा।
- 2- निविदा की स्वीकृति की दशा में अनुबंध हेतु शासन द्वारा निर्धारित मानक व निविदा की लागत के अनुसार आवश्यक धनराशि के स्टैम्प अनुबंध हेतु प्रस्तुत करने होंगे।
- 3- निविदादाताओं/फर्मों को निविदा स्वीकृति की दशा में कार्य की कुल लागत का 10 प्रतिशत जमानत धनराशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत एफ०डी०आर०/सी०डी०आर० के रूप में जो अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लखनऊ-11, लखनऊ के पक्ष में बंधक हो, जमा करनी होगी।

- 4- अनुबंध गठन की प्रक्रिया या उसके उपरान्त यदि यह संज्ञान में आता है कि संबंधित ठेकेदार/फर्म सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो उसके साथ किया गया अनुबंध निरस्त कर दिया जाएगा एवं दण्ड के रूप में उसकी धरोहर धनराशि जब्त करते हुए उसका नाम काली सूची में डाला जाएगा।
- 5- निविदादाता/फर्म द्वारा दिए गए दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों के गलत पाए जाने पर निविदादाता को अयोग्य समझा जाएगा एवं निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि फर्जी/गलत दस्तावेजों की जानकारी अनुबंध गठन के बाद होती है तो अनुबंध उसी समय निरस्त करते हुए दण्ड के रूप में धरोहर धनराशि जब्त करते हुए उसका नाम काली सूची में डाला जाएगा।
- 6- उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियम नियमावली वर्ष 2009 के विनियम 24 (2) के अंतर्गत प्रत्येक संविदा का एकल पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
- 7- निविदादाता/फर्म को GST में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा। कार्य की लागत में GST सम्मिलित नहीं है, तथा तदसमय GST का भुगतान नियमानुसार कार्य की लागत पर देयता के अनुसार किया जाएगा। अन्य समस्त कर कार्य की लागत में सम्मिलित है।
- 8- निविदादाता/फर्म के सभी देयकों से कार्य की लागत पर आयकर, लेबर सेस तथा अन्य कर जो सरकार द्वारा लागू किया जाता है, की कटौती नियमानुसार की जाएगी।
- 9- यदि किसी कारणवश निविदा सूचना में उल्लिखित तिथि को अवकाश हो जाता है तो निविदा अगले कार्य दिवस को खोली जाएगी।
- 10- डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि कार्य एवं उक्त मद में रोकी जाने वाली धनराशि तकनीकी बिड के अनुसार होगी।
- 11- समस्त कार्य उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/उ0प्र0 जल निगम/परिषद की नवीनतम विशिष्टियों के अनुसार कराए जाएंगे।
- 12- जी0पी0डब्ल्यू-9 फार्म अनुबंध का हिस्सा होगा।
- 13- कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण करना होगा। कार्य की मासिक प्रगति निर्धारित मासिक प्रगति चार्ट के अनुसार होनी चाहिए। प्रगति का आंकलन प्रत्येक माह के अन्त में किया जाएगा। विलम्ब की दशा में ठेकेदार को अगले माह के अन्त तक निर्धारित कम्प्लेटिव प्रगति करना अनिवार्य होगा अन्यथा अनुबंध निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा सकती है जिसके लिए ठेकेदार/फर्म का कोई क्लेम मान्य न होगा।
- 14- निविदा की दर कम या अधिक (Below or Above) अंकित न होने पर कम (Below) माना जाएगा।
- 15- शासनादेश के अनुसार बी0ओ0क्यू की से Below दर देने पर ठेकेदार द्वारा अतिरिक्त जमानत धनराशि नियमानुसार देय होगी।
- 16- सक्षम अधिकारी को कोई भी अथवा समस्त निविदाएं बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा जिसके संबंध में कोई भी क्लेम मान्य नहीं होगा।
- 17- सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
- 18- अन्य नियम व शर्तें निविदा की तकनीकी एवं वित्तीय बिड के अनुसार होगी।
- 19- किसी भी विवाद हेतु न्यायिक क्षेत्र जनपद-लखनऊ होगा।
- 20- कार्य के अन्तिम बीजक का भुगतान कार्य समाप्त होने व सम्बन्धित विभाग को हस्तगत होने के उपरान्त किया जायेगा।
- 21- कार्य का भुगतान उ0प्र0 शासन द्वारा अवमुक्त की जाने वाली धनराशि के खण्ड कार्यालय में उपलब्ध होने के पश्चात् ही नियमानुसार किया जायेगा। भुगतान में हुए विलम्ब हेतु फर्म का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
- 22- सम्बन्धित विभाग को कार्य हस्तगत कराने की जिम्मेदारी फर्म की होगी, जिसके उपरान्त ही अन्तिम भुगतान किया जायेगा एवं सिक्वोरिटी की धनराशि प्रोजेक्ट कम्प्लीशन रिपोर्ट निर्गत होने एवं निर्धारित अवधि के उपरान्त ही नियमानुसार अवमुक्त की जायेगी।
- 23- यदि निर्माण कार्य की जांच में गुणवत्ता निम्न स्तर की पायी जाती है तो इसके लिए ठेकेदार/फर्म उत्तरदायी होगी, जिसकी वसूली नियमानुसार फर्म से की जायेगी।

(नागेन्द्र कुमार)  
अधिसासी अभियन्ता

पृष्ठांक :- 1465 / उक्त / 125 दिनांक :- 16-12-2024

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (M0), ग्लोबल कन्सट्रक्शन एण्ड कन्सलटेन्सी सेल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, नीलगिरी काम्प्लेक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
2. अधीक्षण अभियन्ता, लखनऊ वृत्त उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद नीलगिरी काम्प्लेक्स इन्दिरा नगर लखनऊ।
3. क्रीडाधिकारी रायबरेली।
4. कम्प्यूटर सेल, मुख्यालय, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि परिषद की वेबसाइट पर प्रसारित करने का कष्ट करें।
5. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/ अवर अभियन्ता/सहायक लेखाधिकारी/संगणक नि0ख0 लखनऊ-11 उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
6. नोटिस बोर्ड।

अधिसासी अभियन्ता